

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, धनबाद


एम० पी० केश नं० 353/2017.....


धारा 107 द.प्र.स.

01.3.17

TR-46/17

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कार्यवाही
	मालती पाठक बनाम विनोद कुं पाठक	13.4.17
	वैक्यात थाना अप्राथमिकी सं० ... 1.4/17...	4.5.17
	प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी	27.5.17
	स० अ०नि०/अ०नि० ने जाँच कर अपना	7/6/17
	प्रतिवेदन थाना प्रभारी थाना एवं	19/6/17
	अ० निरी० ने अग्रसारित किया	5.7.17
	है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच का वैक्यात	20/8/17
	को लेकर	4/8/17
	तनाव है। उभय पक्ष काबू को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति	22/8/17
	भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा	29/8/17
	सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव	15/9/17
	व्याप्त है तथा इनके कार्या से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती	4/10/17
	है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107	12/10/17
	द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ	2/11/17
	कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 23.3.17 को 10.30 बजे	16/11/17
	पूर्वाहन उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं	29/11/17
	लोक परिशांति बनाये रखाने के लिए आपके र 5000.00 रु० का दो	12/12/17
	समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।	26/12/17
		16/01/18
		29/01/18
		12/2/18
		23/2/18
		समाप्त -

लेखापित एवं संशोधित

 अनुमंडल दण्डाधिकारी
 धनबाद


 अनुमंडल दण्डाधिकारी
 धनबाद